



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 426 राँची, शुक्रवार,

24 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

15 जुलाई, 2026

संख्या-3/आरोप-11-27/2026 का० 4582--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, झा०प्र०से० (को०क्र०-864/03), संयुक्त सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा राज्य के थानों में लगाये जाने वाले CCTV से संबंधित मामले में बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के वास्तविक तथ्यों से इतर प्रतिवेदन श्री सिद्धार्थ दवे, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया, जिसके कारण पुराना प्रतिवेदन निरस्त करने एवं नये सिरे से प्रतिवेदन भेजने की स्थिति उत्पन्न हुई। उक्त के क्रम में श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, झा०प्र०से० (को०क्र०- 864/03), संयुक्त सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी है।

2. अतः गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, झा०प्र०से० (को०क्र०- 864/03), संयुक्त सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि के लिए श्रीमती तिग्गा का मुख्यालय, प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती तिग्गा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के अनुरूप जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।
